APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट हुरडा

महावीर पिता हगामा माली
निवासी– हुरडा

बनाम कन्हैयालाल पिता लादू माली
निवासी– हुरडा

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53, रा.टी. ए. प्रकरण संख्या– 33/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.08.2018	प्रत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट हुरडा पर पेश हुई, वादी महावीर व उनके अधिवक्ता उपस्थित । प्रतिवादी गोपाल माली उपस्थित हुये। वकील वादी के द्वारा कथन किया गया कि मामला मात्र भूमि विभाजन का है , जिसमें आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात है , जिसमें वादी का 1/2, व प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 का 1/2 हिस्सा निहित है , और इसी हक हिस्से के अनुसार पक्षकारान काबिज काश्त चले आ रहे है । आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होने से फसल काश्त करनें , फसल काटनें व लगान जमा करानें में परेशानी होती है इसलिये वादी माफिक हिस्से के अनुसार भूमि का विभाजन करवाना चाहता है । उपस्थित प्रतिवादी ने भी माफिक हक हिस्से के अनुसार भूमि विभाजन किये जाने में कोई आपति नही होना जाहिर किया है । मैने उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्नानुसार रहा है । वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 मौजा हुरडा सेजा तहसील हुरडा के अनुसार आराजी नं.– 2478, 2479, 2503, 2504, 2505 किता 5 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा भूमि कन्हैयालाल, गोपाल, पिता लादू , महावीर पिता हगामा माली सा. देह , के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । यहॉ वादी का कथन है कि आराजीयात संयुक्त खातेदारी की होने से फसल काश्त करनें, फसल काटनें, तथा लगान जमा करानें में क़ाफी परेशानी आती है । इसलिये आराजीयात का माफिक हक हिस्से के अनुसार विभाजन कराना चाहा है । प्रतिवादी के द्वारा भी हक हिस्से के अनुसार विभाजन किये जाने में कोई आपति जाहिर नही करने से दावा वादी प्राथमिक डिकी किये जाने योग्य है ।	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

::–निर्णय::–

दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौजा हुरडा सेजा तहसील हुरडा की आराजी नं.– .– 2478, 2479, 2503, 2504, 2505 किता 5 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा भूमि के खातेदान काश्तकारान के मध्य उनके हक हिस्से के अनुसार भूमि व लगान विभाजन किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार हुरडा को निर्देश दिये जाते है कि वह आज ही भूमि व लगान का विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव मय लगान फाटनी प्रस्तुत करें । निर्णय आज 18.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट हुरडा पर सुनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

कार्यालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

18.06.2018

तहसीलदार हुरडा के द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

1– महावीर पिता हगामा माली सा0देह के हिस्से में रहन एस0 बी0 बी0जे0 शाखा हुरडा –

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
हुरडा सेजा	2503/1	01 बीघा 14 बिस्वा	
	2478	00 बीघा 02 बिस्वा	
	2479	00 बीघा 11 बिस्वा	
	2505	00 बीघा 18 बिस्वा	
कुल किता 4		03 बीघा 05 बिस्वा	

2– कन्हैयालाल , गोपाल पिता लादू माली सा0 देह के हिस्से में –

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
हुरडा सेजा	2503	01 बीघा 14 बिस्वा	
	2478/1	00 बीघा 05 बिस्वा	
	2479/1	00 बीघा 18 बिस्वा	
	2505/1	00 बीघा 08 बिस्वा	
कुल किता 4		03 बीघा 05 बिस्वा	

3– निम्न आराजीयात शामिल में रहेगी –

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

मौजा	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
हुरडा सेजा	2504	00 बीघा 01 बिस्वा	गे.मू.चाह
कुल किता 1		00 बीघा 01 बिस्वा	

उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुना गया । उपस्थित उभयपक्ष के द्वारा तहसीलदार हुरडा से उक्त प्राप्तुसदा विभाजन प्रस्ताव को सही होकर स्वीकार किया जाना जाहिर किया है ।

मैने भी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। तदनुसार तहसीलदार हुरड़ा से उक्त प्राप्तशुदा विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। तथा इसी अनुरूप प्रकरण मे अंतिम डिकी पर्चा तैयार किये जाने के आदेश दिये जाते है । तद्नुसार अन्तिम डिकी पर्चा तैयार किया जावें पत्रावली सुमार फेसल होकर दाखिल दफतर करें । आदेश आज दिनांक 18.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट हुरडा पर सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा